(75)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1050–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–2–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 169/निगरानी/2006–07.

मेसर्स चंद्रपुरा फार्म, सुल्तानपुर
जिला रायसेन म0प्र0
द्वारा साझेदार रंजीत सिंह
आत्मज श्री सरदार माछी सिंह
निवासी ई–3/26 अरेरा कालोनी
भोपाल कृषक ग्राम सुल्तानपुर
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1–राम रतन आत्मज श्री हीरालाल
निवासी ग्राम सुल्तानपुर गौहरगंज
जिला रायसेन म0प्र0
2–म0प्र0शासन
द्वारा कलेक्टर जिला रायसेन
(अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) गौहरगंज
जिला रायसेन म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री आर0एन0मालवीय, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/5/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–2–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो म0प्र0 भोपाल के पत्र कमांक /अपराध/विधि/आर–107(04)/107–ए/04 दिनांक 10–2–2004 द्वारा ग्राम सुल्तानपुर तहसील गौहरगंज की नामान्तरण पंजी दिनांक 10–5–1991 से दिनांक 8–12–1993 में दर्ज नामान्तरण प्रविष्टि कमांक 57 दिनांक 8–12–1993 द्वारा अवैध नामान्तरण एवं रिकार्ड में हेराफेरी कर शासन को राजस्व की हानि पहुॅचाने संबंधी शिकायत कलेक्टर रायसेन को जॉच हेतु प्राप्त हुई । कलेक्टर द्वारा उक्त शिकायत की जॉच अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज से कराई गई तथा जॉच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामान्तरण अवैध होने एवं शासन को स्टाम्प की हानि होने का उल्लेख करते हुये प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर नामान्तरण निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तावित किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया तथा नामान्तरण प्रविष्टि कमांक 57 दिनांक 8–12–1993 पर किया गया नामान्तरण निरस्त कर दिया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–2–16 को निगरानी अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक की भूमि ग्राम सुल्तानपुर के खसरा कमांक 478/1 रकबा 31.50 एकड़ है उक्त भूमि आवेदक के नाम जरिये संशोधन प्रविष्टी कमांक 57 दिनांक 8–12–1993 से नामान्तरित हुई थी । उक्त भूमि पूर्व में भूस्वामी रामरतन के नाम राजस्व प्रपत्रों में दर्ज थी और नामान्तरण दिनांक 8–12–1993 के पश्चात् उक्त भूमि मेसर्स चंद्रपुरा फार्म वारना सुल्तानपुर द्वारा सांझेदार सरदार रंजीत सिह आत्मज सरदार माछी सिंह के नाम नामांतरित हुई।

(2) उक्त भूमि में शासन का कोई हित निहित नहीं है क्योंकि भूमि प्राईवेट पक्षकारों की भूमि है तथा शासकीय भूमि नहीं है ।

(3) इस भूमि के नामान्तरण दिनांक 8–12–93 के विरूद्ध किसी व्यक्ति ने एक शिकायत प्रभारी अधिकारी जिला रायसेन को प्रस्तुत की थी तथा इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जॉच की गई थी परन्तु किसी हितबद्ध व्यक्ति ने कोई कार्यवाही नहीं की परन्तु बिना किसी कारण के विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरण को प्रश्नगत किाय गया एवं नामान्तरण में नामान्तरण प्रविष्टि किये जाने से शासन को स्टाम्प एवं मुद्रांक शुल्क की हानि होना बताकर नामान्तरण प्रविष्टि के आदेश के समयावधि से जाकर स्वमेव निगरानी में लेने का आदेश दिया गया है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एकपक्षीय रूप से जॉच की गई है और आवेदक एवं हिवबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है जबकि आवेदक का नाम बतौर भूमिस्वामी राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुका था । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपना एकपक्षीय प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है और ऐसी कार्यवाही कोई प्रकरण दर्ज किये की गई है ।

(5) कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर नामान्तरण निरस्त किया गया है । जबकि नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अपील होती है परन्तु कोई अपील पेश नहीं की गई । इसलिये कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही विधि विरूद्ध है क्योंकि लगभग 13 वर्ष बाद प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया है जो कि समय वर्जित है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये ।

(6) शिकायत कलेक्टर की जानकारी में दिनांक 29–1–04 को आ गई थी और 30–1–04 को पत्र कमांक 727 से जॉच हेतु अनुविभागीय अधिकारी को बिना पंजीबद्ध किये भेज दिया गया था । इस प्रकार बिना पंजीबद्ध किये गये भेजने का आदेश और अनुविभागीय अधिकारी की जॉच दोनों ही विधि अनुसार नहीं है और क्षेत्राधिकार रहित है इस संबंध में एआईआर 1954 सुप्रीम कोर्ट पेज 340 पैरा कमांक 6 अवलोकनीय है ।

(7) अपर आयुक्त द्वारा भी कलेक्टर का आदेश निरस्त करने के बजाये वास्तविक स्थिति एवं तथ्यों का सूक्ष्मता पूर्वक विश्लेषण अवलोकन परीशीलन एवं विवेचन किये बिना प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29–2–16 में नई शर्ते आरोपित कर निगरानी निरस्त कर दी ।

(8) अपर आयुक्त ने आदेश में एक नई शर्त और जोड दी जिसमें धारा 177 के अंतर्गत भूमि को लावारिस घोषित करने का निर्देश दे दिया गया जबकि कलेक्टर ने प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखो में आवेदक के स्थान पर अनावेदक के नाम दर्ज करने का आदेश दिया था एवं इस भूमि के संबंध में संहिता की धारा 176 व 177 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

(9) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्टाम्प कमी के आधार पर निगरानी दर्ज की गई थी परन्तु स्टाम्प शुल्क की कमी की पूर्ति नामान्तरण दिनांक को करने का कोई आदेश नहीं दिया गया जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक के खिलाफ झूठी शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।

उनके द्वारा आवेदक के विरूद्ध जो कार्यवाही की गई है वह अवैधानिक होने से निरस्त की जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 169/190 के तहत पंजी पर नामान्तरण हुआ है, जबकि संहिता की धारा 169/190 के अन्तर्गत पंजी पर नामान्तरण नहीं किया जा सकता । इससे स्पष्ट है कि नामान्तरण की कार्यवाही प्रथमदृष्टया ही अवैध कार्यवाही है, क्योंकि मूल भूमिस्वामी रामरतन अब उपलब्ध नहीं है और न ही उसके किसी वारिस की जानकारी है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 177 में भूमि को लावारिस घोषित कर मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–2–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर